बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

संकल्प

विषयः– सीतामढ़ी जिले में अवस्थित माँ सीता की जन्मस्थली, पुनौराधाम का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, अयोध्या के अनुरूप समग्र विकास किये जाने के लिए स्वीकृत वृहद् योजना के ससमय एवं सुचारू क्रियान्वयन तथा योजना पूर्ण होने के उपरांत निर्मित परिसम्पतियों के प्रभावी संचालन तथा प्रबंधन संबधित कार्यों के सफलतापूर्वक निर्वहन के उद्देश्य से गठित श्री जानकी जन्मभूमि पुनौराधाम मंदिर न्यास समिति, ग्राम– पुनौरा, जिला– सीतामढ़ी के विधिवत् निबंधन और वैधता के संबंध में तैयार किये गये ट्रस्ट डीड (Trust Deed) के अनुमोदन एवं पुनौराधाम के विकास हेतु अर्जित की गयी 50.8925 एकड़ भूमि को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार के विभागीय पत्रांक– 636 दिनांक– 12.03.1991 की कंडिका–ख को शिथिल करते हुए उक्त न्यास समिति को निःशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति के संबंध में।

सीतामढी जिले में 'देवी सीता' की जन्मस्थली पुनौराधाम का विशेष धार्मिक और पर्यटकीय महत्व है। हिंदू धर्मावलंबी 'भगवान राम' के साथ 'देवी सीता' की भी पूजा करते हैं। व्यापक जनहित में श्रद्धालुओं की भावना और पर्यटन के व्यापक विकास की संभावना को ध्यान में रखते हुए मौजूदा पुनौराधाम को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, अयोध्या की तर्ज पर रामायण सर्किट के रूप में विकसित किये जाने हेतु कुल 942.38 करोड़ रूपये की योजना स्वीकृत की गई है। इस योजना के कार्य–घटकों में मंदिर की वर्तमान सरंचना के उन्नयन, अन्य पर्यटकीय विकास संबंधित कार्य एवं भवन निर्माण तथा क्रियान्वयन के उपरांत 10 वर्षों के लिए संचालन एवं प्रबंधन से संबंधित व्यय शामिल हैं। योजना का कार्य प्रगति पर है।

इस योजना के ससमय क्रियान्वयन हेतु नियमित अनुश्रवण और क्रियान्वयन के उपरांत निर्मित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण, संचालन एवं प्रबंधन से संबंधित कार्यों का निर्वहन विभागीय संकल्प सं०– 1987 दिनांक – 02.07.2025 में उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में न्यास समिति के द्वारा किया जायेगा, जो विधि विभाग की अधिसूचना सं० – 3792 दिनांक– 23.06.2025 के माध्यम से अधिसूचित की गयी थी। उक्त महत्वपूर्ण कार्यों के दृष्टिगत नवगठित न्यास समिति श्री जानकी जन्मभूमि पुनौराधाम मंदिर न्यास समिति, ग्राम– पुनौरा, जिला– सीतामढ़ी का विधिवत् निबंधन कराये जाने की आवश्यकता थी।

(22)

2. उक्त न्यास समिति की वैद्यता के संबंध में निबंधन हेतु ट्रस्ट डीड (Trust Deed) दस्तावेज तैयार किया गया है, जिसमें न्यास समिति के कार्य–क्षेत्र, निदेशक मंडल, दायित्व, उद्देशय, परिसम्पतियां, सलाहकार मंडल एवं वित्तीय गतिविधियों के संचालन इत्यादि से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

3. सीतामढ़ी जिलान्तर्गत पुनौराधाम मंदिर परिक्षेत्र के अंतर्गत 17 एकड़ की भूमि पूर्व से कार्यरत न्यास समिति के नियत्रंणाधीन है। साथ ही स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन हेतु 50.8925 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण भी किया गया है। नवगठित न्यास समिति के निबंधन के उपरान्त उक्त दोनों भू–खंड स्वतः ही न्यास समिति के नियंत्रणाधीन हो जाएगी।

4. राज्य सरकार के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण किये जाने के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार के विभागीय पत्रांक– 636 दिनांक– 12.03.1991 की कंडिका – ख में उल्लेखित है कि "राज्य सरकार के ऐसे विभाग, बोर्ड, निगम, निकाय प्राधिकार आदि जो विश्व बैंक, अन्य राज्य अथवा निजी उद्योगपतियों की सहायता से अथवा उनके लिए जमीन की बन्दोबस्ती लेते हैं, के साथ प्रचलित बाजार दर पर नियमानुसार सलामी तथा सलामी के 2 प्रतिशत या 5 प्रतिशत (क्रमशः आवास या व्यावसायिक प्रयोजन के लिए) के 25 गुना पूंजीकृत मूल्य के भुगतान पर जमीन की स्थायी बन्दोबस्ती की जाय।" इस प्रस्ताव के संदर्भ में उक्त प्रावधान को शिथिल किये जाने की आवश्यकता थी।

5. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सीतामढ़ी जिले में अवस्थित माँ सीता की जन्मस्थली, पुनौराधाम का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, अयोध्या के अनुरूप समग्र विकास किये जाने के लिए स्वीकृत वृहद् योजना के ससमय एवं सुचारू क्रियान्वयन तथा योजना पूर्ण होने के उपरांत निर्मित परिसम्पतियों के प्रभावी संचालन तथा प्रबंधन संबधित कार्यों के सफलतापूर्वक निर्वहन के उद्देश्य से गठित श्री जानकी जन्मभूमि पुनौराधाम मंदिर न्यास समिति, ग्राम– पुनौरा, जिला– सीतामढ़ी के विधिवत् निबंधन और वैधता के संबंध में तैयार किये गये ट्रस्ट डीड (Trust Deed) के अनुमोदन एवं पुनौराधाम के विकास हेतु अर्जित की गयी 50.8925 एकड़ भूमि को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार के विभागीय पत्रांक– 636 दिनांक– 12.03.1991 की कंडिका–ख को शिथिल करते हुए उक्त न्यास समिति को निःशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर दिनांक– 15.07.2026 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद सं०– 12 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

~~अनुलग्नक– योजना की प्रति।~~

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के सचिव,

पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– पर्य०यो०रा० – 27/2025 खण्ड ..../प०वि०, पटना दिनांकः–...........

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/स्थानिक आयुक्त कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के सचिव,

पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– पर्य०यो०रा० – 27/2025 खण्ड 2032/प०वि०, पटना दिनांकः– 17.7.2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि०/निदेशक, पर्यटन निदेशालय/अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। आई० टी० मैनेजर, पर्यटन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर संबंधित सूचना को अपलोड करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव,

पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

16/7/04